crores) and 2000 million pieces of coins (of a total face value of Rs. 260 crores.

**राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जमा प्राप्ति इश्यू जारी करने हेतु अनुमति**

976. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी तथा निजी क्षेत्र की उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1995-96 से आज तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जमा प्राप्ति इश्यू जारी करने हेतु अनुमति दी गई थी;

(ख) उन इश्युओं के माध्यम से कुल कितनी राष्ट्रीय तथा विदेशी मुद्रा एकत्रित हुई ;

(ग) इस एकत्रित धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया गया ;और

(घ) सरकार द्वारा जी.डी.आर.इश्यू के माध्यम से एकत्रित हुई धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा)**: (क) और(ख) जी.डी.आर.तंत्र के जरिए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड(एफ.सी.सी.बी.) और सामान्य शेयर जारी करने की योजना के अन्तर्गत भारतीय कंपनियों द्वारा जी.डी.आर/अमरीकी निक्षेप प्राप्ति एफसीसीबी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जारी किए जा सकते हैं ।सरकारी और निजी क्षेत्र में उन भारतीय कंपनियों की संख्या जिन्होंने .डी.आर/जी.डी.आर/एफ.सी.सी.बी.जारी किए हैं,तथा 1995-96 से जुटाई गई राशि के ब्यौरे निम्रानुसार हैं:-

| वर्ष | कंपनियों की संख्या | जुटाई गई राशि (मिलियन अमरीकी डालर) |
|---|---|---|
| 1995-96 | 7 | 613.00 |
| 1996-97 | 15 | 1869.64†<br>155.00स्विस फ्रेंक |
| 1997-98 | 5 | 587.19†<br>1.87 पाउण्ड |

(ग) जी.डी.आर.इश्युओं के जरिए जुटाई गई राशि को अंतिम प्रयोगों के लिए उपयोग में लाने के लिए अनुमोदित किया गया था जिनमें वे शामिल हैं-पूंजीगत माल के आयात को वित्तपोषित करना,संयंत्र उपरकर तथा भवन की देशीय खरीद/संस्थापना सहित पूंजीगत व्यय तथा साफ्टवेयर विकास में निवेश,पहले के विदेशी उधारों का पूर्वभुगतान या समयबद्व भुगतान करना,विदेशों में निवेश करना जहां ऐसे निवेश को सक्ष्म प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो तथा भारत में संयुक्त उद्यमों/ डब्ल्य.ओ.एस.में इकिवटी निवेश करना । एफ.सी.सी.बी.से हुई प्राप्तियों का प्रयोग समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर लागू मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए । कंपनियों को अपअने इश्यू से हुई प्राप्तियों का 25% तक का हिस्सा अपनी कार्यकर पूंजी संबंधी जरूरतों सहित सामान्य कार्पोरेंड पुर्नसंरचना के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई । यूरो इश्यू से हुई प्राप्तियों का प्रयोग स्टाक बाजार और स्थावर संपदा में करने की अनुमति नहीं दी गई । मई,1998 में सरकार द्वारा घोषित दिशा निर्देशों में,सिवाय स्थावर संपदा और स्टाक बाजार में इश्यू से हुई प्राप्तियों के प्रयोग पर लगे प्रतिबंध के,ए.डी.आर./जी.डी.आर.इश्यू से हुई प्राप्तियों से संबंधति सभी अंतिम प्रयोग संबंधी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं ।

(घ) जी.डी.आर./ए.डी.आर./एफ.सी.सी.बी. इश्युओं को जारी करना,विदेश में इससे संबंधित व्यय,देश में इश्यू से हुई प्राप्तियों का प्रत्यावर्तन आदि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा),1973 के उपबंधों के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन तंत्र के अधीन है ।

जी.डी.आर/ए.डी.आर./एफ.सी.सी.बी.इश्यु जारी करने वाली कंपनियों को तिमाही आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार को इश्यू से हुई प्राप्तियों के प्रयोग के संबंध में तब तक रिपोर्ट करना होता है जब

तक वे अनुमोदित प्रयोजनों के लिए पूरी तरह खर्च नहीं कर ली जाती । भारतीय कंपनियों द्वारा लिए गए ई.सी.बी.की मानीटरिंग क्षेत्रीय कार्यालयों से मिलकर भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा की जाती है ।

**Vacancies in BIFR**

977. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI MD. SALIM:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn in the news—item 'Vacancies make BIFR Unviable' published in the "Statesmen" (Calcutta) dated 19.11.1998;

(b) if so, Government's reaction thereto;

(c) the number of cases registered with BIFR as on date;

(d) the zone-wise break up of the aforesaid cases; and

(e) the action taken by Government to expedite hearings in the BIFR?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) and (b) Yes, Sir. Government is aware about the vacancies in the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). At present, there are three Members of BIFR in .position and action has already been, initiated to fill up the remaining vacancies.

(c) and (d) As on 31.10.1998, 2381 Sick Industrial Companies were registered with BIFR under the provisions of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985. Out of this ITU cases have been disposed off by BIFR and remaining 659 cases are pending at various stages.

Region-wise break up of pending cases as on 31.10.1998 is as follows—

| Region | No. of Companies |
|---|---|
| Northern | 190 |
| Western | 227 |
| Eastern | 92 |
| Southern | 150 |
| TOTAL | 659 |

(e) Government has initiated action to fill up the vacancies which would enable BIFR to constitute more benches and thereby expedite hearing- disposal of cases.

**Payment of tower central excise duties by drug manufactures**

978. SHRI SHIBU SOREN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain bulk area manufaturers like Glaxo India, Ranbaxy Laboratories and Hoechst Marion Raussel and others are selling bulk drugs at prices much below the Drug (Price Control) Order, 1995 Rates and consequently paying lower Central Excise duties; and

(b) if so, what action is being taken to ascertain the facts and to bring the quilty to the book?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M. R. JANARDHA-NAN): (a) Yes, it is a fact that certain bulk drug manfacturers are selling bulk drugs at prices below the Drug (Price Control) Order, 1995 Rates.

(b) Necessary remedial action is being takert by way of issue of show cause notices to safeguard the Government revenue and to bring the guilty to the book.